मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

विज्ञप्ति

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय में निम्नानुसार कन्सलटेंट की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. पुल (ब्रिज) परामर्शी
2. विधि परामर्शी

आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम व शर्ते तथा भुगतान आदि संबंधी जानकारी प्राधिकरण की वेबसाईट www.mprrda.org/defualt.html से प्राप्त की जा सकती है। आवेदक gmamprrda@gmail.com पर दिनांक 03/10/2023 तक ई–मेल के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

क्र. 15082 दिनांक 22/09/2023

22/9/2023

मुख्य महाप्रबंधक (प्रशा.)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्र. 15082 /22/वि–12/ग्रासप्रा/विज्ञा. 04–2023/2023 भोपाल, दिनांक 22/09/2023

:: परामर्शी की सेवाएं प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति ::

प्राधिकरण के मुख्यालय कार्यालय एवं म.प्र. ग्रामीण सड़क अकादमी में कन्सलटेंट की सेवाएं प्राप्त करने के लिये नीचे दर्शाये गये अनुसार योग्यता एवं अनुभव रखने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र.	पद नाम	पद संख्या	पारिश्रमिक	आयु सीमा	योग्यता
1	पुल परामर्शी	1 (सेवानिवृत्ति उपरांत)	रू. 1,25,000/– (अधिकतम 15 कार्यदिवस के मान से रू. 62500/–) कुल वार्षिक पारिश्रमिक रू. 7,50,000/–	आवेदन की तिथि को 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो।	राज्य/केन्द्र शासन के विभागों से सिविल डिग्रीधारी अभियंता जो कि न्यूनतम अधीक्षण यंत्री या इससे उच्च पद से सेवानिवृत्त हो जिन्हें पुल निर्माण कार्यों का न्यूनतम 5 वर्ष का फील्ड का अनुभव हो। **अथवा** राज्य/केन्द्र शासन के विभागों से सिविल डिग्रीधारी अभियंता जो कार्यपालन यंत्री के पद से सेवानिवृत्त हो तथा कार्यपालन यंत्री के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष कार्यरत रहे हों, जिन्हें पुल निर्माण कार्यों का न्यूनतम 8 वर्ष का फील्ड का अनुभव भी हो। **अथवा** ऐसे सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री (सिविल डिग्रीधारी) जो कार्यपालन यंत्री पद पर कार्यरत रहते हुये म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण /म.प्र. सड़क विकास निगम/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में महाप्रबंधक या महाप्रबंधक के समकक्ष के पद पर 05 वर्ष कार्यरत रहे हों एवं जिन्हें न्यूनतम 03 वर्षों का पुलों के फील्ड कार्यों का अनुभव महाप्रबंधक के रूप में हो। **विस्तृत विवरण – विवरणिका–1**
2	विधि परामर्शी	1 (सेवानिवृत्ति उपरांत)	62500/– अधिकतम 15 कार्यदिवस के मान से) कुल वार्षिक पारिश्रमिक रू. 7,50,000/–	आवेदन की तिथि को 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो।	1 किसी मान. न्यायालय/आर्बीट्रेषन ट्रिब्यूनल में निर्माण कार्यों के अनुबंध से संबंधित कम से कम 25 प्रकरणों के अंतिम निराकरण का अनुभव अनिवार्य है। इनमें से पक्ष में हुए निर्णय का प्रतिषत 75% से कम नहीं होना चाहिए। (निर्धारित प्रपत्र 'अ' में जानकारी संलग्न करें)। 2. निर्माण कार्यों से संबंधित कम से कम 5 कॉन्ट्रेक्ट डाक्यूमेंट तैयार करने/परीक्षण (Vetting) का अनुभव अनिवार्य है। संबंधित विभाग से इस आषय का प्रमाण पत्र संलग्न करें। (निर्धारित प्रपत्र 'ब' में जानकारी

क्र.	पद नाम	पद संख्या	पारिश्रमिक	आयु सीमा	योग्यता
					संलग्न करें)। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि शासकीय सेवा संबंधी अन्य प्रकरणों (जैसे ई.पी.एफ. इत्यादि) का अनुभव हो तो उसकी भी जानकारी निर्धारित प्रपत्र 'स' में संलग्न करें। **विस्तृत विवरण – विवरणिका–2**

2. तालिका में उल्लेखित पारिश्रमिक के अतिरिक्त कोई वेतन और भत्तों का भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. माह में अधिकतम 15 दिन के लिए सलाहकार/कन्सलटेंट के रूप में कार्य लिया जावेगा।
4. उपरोक्त पद हेतु प्रारंभिक तौर पर एक वर्ष पर सेवाएं परामर्शी के रूप में ली जावेगी तथा आवश्यकता होने पर आगामी वर्ष हेतु सेवाएं बढ़ायी जा सकेगी।
5. आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल के नाम पर पूरी जानकारी एवं प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति सहित अर्हकारी आवेदक अपना आवेदन संलग्न आवेदन पत्र में प्राधिकरण की प्रशासन शाखा की ई–मेल आई.डी. gmamprrda@gmail.com पर दिनांक 03/10/2023 तक ई–मेल के माध्यम से समय सायं 06:00 बजे तक भेज सकेगें। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त आवेदनो पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. ई–मेल के अतिरिक्त पत्राचार, फेक्स/टेलेक्स/टेलिग्राम द्वारा दिया गया आवेदन मान्य नहीं होगा।
7. प्राधिकरण द्वारा जारी विज्ञप्ति क्र. 13368 दिनांक 25/08/2023 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा ब्रिज एवं विधि परामर्शी के पद हेतु आवेदन प्रेषित किये गये हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
8. प्राधिकरण को कोई भी/सभी आवेदनों को अमान्य करने तथा विज्ञप्ति एवं विज्ञप्ति से संबंधित प्रक्रिया, किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी विभागीय बेवसाईट www.mprrda.org पर उपलब्ध है।

22/9/2023

(अर्चना सोलंकी)

मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

Advertisement No 15082 dated 22-09-2023

आवेदक का बायोडाटा

Application form No .... (for office use only)

Photo

1. परामर्शी पद का नाम –
2. आवेदक का नाम –
3. स्थाई पता –
4. पत्र व्यवहार का पता –
5. दूरभाष क्रमांक –
6. ई–मेल –
7. जन्म तिथि –
8. राष्ट्रीयता –
9. शैक्षणिक विवरण –
10. शासकीय सेवा का विवरण –
11. सेवानिवृत्ति उपरांत किसी अन्य विभाग/संस्था में किये गये कार्य आदि का विवरण (केवल ब्रिज हेतु)
12. किये गये कार्य आदि का विवरण (केवल विधि परामर्शी हेतु)

सत्यापन

1. मैं परामर्शी के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हूं और मैं आवश्कतानुसार पूरी अवधि के लिए उपलब्ध रहूंगा।
2. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार दिया गया विवरण एवं विज्ञप्ति के साथ संलग्न विवरणिका में उल्लेखित शर्त अनुसार अर्हता मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

मान. न्यायालय/आर्बीट्रेशन ट्रिब्यूनल में निर्माण कार्यों के अनुबंध से संबंधित अंतिम निराकृत संबंधित प्रकरणों का विवरण

प्रपत्र 'अ'

स.क्र.	प्रकरण क्र.	वादी एवं प्रतिवादी का नाम	निर्णय पक्ष में हुआ हॉ/नहीं	रिमार्क
1.				
2.				

कुल प्रकरण.....................
पक्ष में निर्णय संबंधी प्रकरण...............................
पक्ष में निर्णय का प्रतिशत ....

हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

निर्माण कार्यों से संबंधित कॉन्ट्रेक्ट डाक्यूमेंट तैयार करने/परीक्षण (Vetting) करने संबंधी विवरण

स.क्र.	कॉन्ट्रेक्ट डाक्यूमेंट का नाम	संबंधित विभाग का नाम	डाक्यूमेंट तैयार किया अथवा परीक्षण किया	संबंधित विभाग का प्रमाण–पत्र	रिमार्क
1.					
2.					

प्रपत्र 'ब'

कुल प्रकरण.....................

हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

ई.पी.एफ. प्रकरणों/शासन से संबंधित कार्यों का विवरण

प्रपत्र 'स'

स.क्र.	शासकीय सेवा संबंधी/ अन्य प्रकरण (ई.पी.एफ. इत्यादि) का अनुभव संबंधी विवरण	रिमार्क
1.		
2.		

कुल प्रकरण.....................

हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

प्रपत्र 'द'

प्रमाणित किया जाता है कि मैं .... आत्मज श्री.......................... .... द्वारा म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा विधि परामर्शी पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखित निर्धारित आर्हताओं को पूर्ण करता हूँ।

हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

।। पुल (ब्रिज) परामर्शी की नियुक्ति के संबंध में विवरणिका ।।

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में पुल (ब्रिज) परामर्शी की सेवाएं प्रदान करने हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. **कार्य का विवरण :–**

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत कुल 1755 वृहद पुल स्वीकृत हैं। वर्तमान में इनमें से 1116 पुल पूर्ण हैं तथा 439 पुल निर्माणाधीन हैं एवं 200 ब्रिज की निविदा जारी है।

प्राधिकरण में पुलों के निर्माण के साथ–साथ पूर्ण पुलों का सतत् निरीक्षण एवं संधारण भी किया जाता है। ब्रिज सेल के अंतर्गत ब्रिज निर्माण के संबंध में दैनिक नियमित पत्राचार के साथ–साथ इकाईयों से प्राप्त तकनीकी एवं विचलन प्रकरणों पर कार्यवाही अपेक्षित है। ब्रिज परामर्शी का दायित्व विशेष परिस्थिति में तकनीकी परामर्श का रहेगा। इस हेतु ब्रिज परामर्शी द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जावेगें –

1.1 निर्माणाधीन पुलों का निरीक्षण कर आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन देना।

1.2 डीपीआर के प्रावधान स्थल के अनुरूप है या नहीं, का परीक्षण किया जाना।

1.3 मुख्यालय में विचलन प्रकरण प्राप्त होने पर, आवश्यकतानुसार उसका तकनीकी परीक्षण किया जाना।

1.4 निर्मित/निर्माणाधीन किसी हाई लेवल पुल का एचएफएल, डिजाईन एचएफएल से अधिक होने पर उस पुल को सबमर्सिबल पुल मे बदलने या यथावत हाई लेवल बनाये रखने हेतु स्टेयबिलिटी केलकुलेशन एवं अन्य प्रावधानों का परीक्षण।

1.5 निर्माणाधीन किसी पुल के डीपीआर में प्रावधानित केचमेंट एरिया/वेलोसिटी/डिजाईन पैरामीटर मे परिवर्तन होने यथा फाउण्डेशन/सब स्ट्रक्चर/सुपर स्ट्रक्चर/प्रोटेक्शन वर्क में परिवर्तन होने पर स्टेयबिलीटी डिजाईन अनुसार बनाये रखने हेतु आवश्यक गणना, तकनीकी मार्गदर्शन देना।

1.6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

2. नियुक्ति की अवधि :—

ब्रिज परामर्शी पद पर नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध के आधार पर नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष के लिए होगी। कार्य संतोषप्रद होने एवं परस्पर सहमति से सक्षम अनुमोदन उपरांत अवधि एक वर्ष तक के लिए ओर बढ़ायी जा सकेगी।

3. योग्यता / पात्रता :—

3.1 **आयु** — विज्ञप्ति अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हो।

3.2 **अर्हता** —

3.2.1 राज्य / केन्द्र शासन के विभागों से सिविल डिग्रीधारी अभियंता जो कि न्यूनतम अधीक्षण यंत्री या इससे उच्च पद से सेवानिवृत्त हो जिन्हें पुल निर्माण कार्यों का न्यूनतम 5 वर्ष का फील्ड का अनुभव हो।

अथवा

3.2.2 राज्य / केन्द्र शासन के विभागों से सिविल डिग्रीधारी अभियंता जो कार्यपालन यंत्री के पद से सेवानिवृत्त हो तथा कार्यपालन यंत्री के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष कार्यरत रहे हों, जिन्हें पुल निर्माण कार्यों का न्यूनतम 8 वर्ष का फील्ड का अनुभव भी हो।

अथवा

3.2.3 ऐसे सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री (सिविल डिग्रीधारी) जो कार्यपालन यंत्री पद पर कार्यरत रहते हुये म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण / म.प्र. सड़क विकास निगम / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में महाप्रबंधक या महाप्रबंधक के समकक्ष के पद पर 05 वर्ष कार्यरत रहे हों एवं जिन्हें न्यूनतम 03 वर्षों का पुलों के फील्ड कार्यों का अनुभव महाप्रबंधक के रूप में हो।

4. पारिश्रमिक :—

4.1 परामर्शी को प्राधिकरण में सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह अधिकतम 15 कार्य दिवस के मान से रू. 62,500 / — कुल वार्षिक पारिश्रमिक रू. 7,50,000 / — का भुगतान संबंधित के बैंक खाते में किया जाएगा। इस पारिश्रमिक के अतिरिक्त परामर्शी को अन्य कोई वेतन अथवा भत्ते देय नहीं होंगे।

4.2 पारिश्रमिक का भुगतान भारतीय मुद्रा रूपये में नियमानुसार कर कटौत्रा उपरांत (यदि कोई हो) किया जाएगा।

5. चयन प्रक्रिया :–

5.1 परामर्शी की नियुक्ति हेतु प्राधिकरण द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन किया जाकर, प्राधिकरण स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया जाएगा।

5.2 चयन समिति आवेदनों का परीक्षण करेगी तथा पात्रता पूरी करने वाले उम्मीदवारों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट www.mprrda.org पर अपलोड की जाएगी।

5.3 उक्तानुसार साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होने की सूचना ई–मेल / फोन कॉल के माध्यम से दी जाएगी।

5.4 आवेदकों को साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु किसी प्रकार के यात्रा व्यय / दैनिक भत्ते देय नहीं होंगे।

5.5 चयनित उम्मीदवार द्वारा चयन आदेश जारी होने के 15 दिवस की अवधि में प्राधिकरण मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज कराना होगी। अन्यथा की स्थिति में चयन समिति चयन आदेश को निरस्त / समाप्त कर सकेगी।

5.6 प्राधिकरण को यह अधिकार होगा की बिना किसी कारण बताए परामर्शी की नियुक्ति निरस्त / समाप्त कर सकेगा।

5.7 किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

6. आवेदन करने की प्रक्रिया :–

6.1 अर्हकारी आवेदक अपना आवेदन संलग्न एनेक्सर–ए में प्राधिकरण के ई–मेल .... पर दिनांक .... तक ई–मेल के माध्यम से भेज सकेगें।

6.2 ई–मेल के अतिरिक्त पत्राचार, फेक्स / टेलेक्स / टेलिग्राम द्वारा दिया गया आवेदन मान्य नहीं होगा।

---00---

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

।। विधि परामर्शी की नियुक्ति के संबंध में विवरणिका ।।

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में विधि परामर्शी की सेवाएं प्रदान करने हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. कार्य का विवरण :–

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राज्य पोषित ग्राम सम्पर्क योजना, ए.डी.बी. एवं विश्व बैंक पोषित योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत किए गए निर्माण कार्यों के लिए तथा लगभग 75,000 किमी. निर्मित मार्गों के संधारण हेतु निविदाएं निष्पादित कर कार्य कराए जाते हैं। इन कार्यों के डी.पी.आर. तैयार करने तथा सुपरविजन एवं क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु कंसलटेंट (परामर्शी) भी नियुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार एक समय पर प्रदेश के सभी जिलों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा संविदाकारों से किए गए लगभग 6000 अनुबंध प्रचलन में रहते हैं।

इन कार्यों से संबंधित संविदाकारों द्वारा समय–समय पर विभिन्न वाद उठाये जाते रहते हैं। कुछ वाद का निराकरण प्राधिकरण स्तर पर कर दिया जाता है एवं शेष वाद जिला न्यायालय/म.प्र. आर्बीट्रेशन ट्रिब्यूनल/माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायलय में प्रचलन में रहते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित वाद भी विभिन्न न्यायालयों में प्रचलन में रहते हैं। इन प्रकरणों की ट्रिब्यूनल/न्यायालय में पैरवी प्राधिकरण अंतर्गत संसूचीबद्ध अधिवक्ताओं के माध्यम से की जाती है।

उपरोक्त हेतु प्राधिकरण में विधि परामर्शी के पद पर नियुक्ति की जाना है। विधि परामर्शी द्वारा प्राधिकरण मुख्यालय में निम्नलिखित कार्य किये जाएगें –

1.1 मान. न्यायालय/आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में प्रचलित क्लेम/वाद न्यायालय/ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना, प्रतिवाद उत्तर का परीक्षण किया जाना एवं सतत् रूप से मॉनिटरिंग कर प्रकरणों का निराकरण किया जाना।

1.2 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में अग्रिम कार्यवाही हेतु परामर्श देना तथा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना।

1.3 प्राधिकरण अंतर्गत प्रचलित विभिन्न एस.बी.डी. के प्रावधानों अंतर्गत संविदाकारों से प्राप्त अभ्यावेदन के निराकरण में विधिक परामर्श देना।

1.4 विभिन्न प्रचलित एस.बी.डी. का परीक्षण (Vetting) करना तथा डाक्यूमेंट में आवश्यकतानुसार समय–समय पर संशोधन हेतु कार्यवाही करना।

1.5 आवश्यकता होने पर नवीन एस.बी.डी. तैयार करना।

1.6 ई.पी.एफ. प्रकरणों व अधिकारी / कर्मचारियों के संबंध में उद्‌भूत वाद के निराकरण हेतु परामर्श देना तथा आवश्यक कार्यवाही करना।

1.7 विशेष परिस्थितियों में न्यायालयीन प्रकरणों के प्रभारी अधिकारी एवं माननीय न्यायालय के मध्य संपर्क स्थापित करना।

1.8 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

2. **नियुक्ति की अवधि :–**

विधि परामर्शी पद पर नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध के आधार पर नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष के लिए होगी। कार्य संतोषप्रद होने एवं परस्पर सहमति से सक्षम अनुमोदन उपरांत अवधि एक वर्ष तक के लिए ओर बढ़ायी जा सकेगी।

3. **योग्यता / पात्रता :–**

3.1 **आयु –** विज्ञप्ति अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हो।

3.2 **शैक्षणिक अर्हता –** किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक एवं एल.एल.बी. उपाधी, अथवा 5 वर्षीय बी.एस.सी. एल.एल.बी. / बी.ए. एल.एल.बी. / बी.बी.ए. एल. एल.बी. की उपाधी।

3.3 **अनुभव –**

- मान. न्यायालय / आर्बीट्रेशन ट्रिब्यूनल में निर्माण कार्यों के अनुबंध से संबंधित कम से कम 25 प्रकरणों के अंतिम निराकरण का अनुभव अनिवार्य है। इनमें से पक्ष में हुए निर्णय का प्रतिशत 75% से कम नहीं होना चाहिए। (निर्धारित प्रपत्र 'अ' में जानकारी संलग्न करें)।
- निर्माण कार्यों से संबंधित कम से कम 5 कॉन्ट्रेक्ट डाक्यूमेंट तैयार करने / परीक्षण (Vetting) का अनुभव अनिवार्य है। संबंधित विभाग से इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करें। (निर्धारित प्रपत्र 'ब' में जानकारी संलग्न करें)।

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि शासकीय सेवा संबंधी अन्य प्रकरणों (जैसे ई.पी.एफ. इत्यादि) का अनुभव हो तो उसकी भी जानकारी निर्धारित प्रपत्र 'स' में संलग्न करें।

4. **पारिश्रमिक :–**

4.1 परामर्शी को प्राधिकरण में सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह अधिकतम 15 कार्य दिवस के मान से रू. 62,500/– कुल वार्षिक पारिश्रमिक रू. 7,50,000/– का भुगतान संबंधित के बैंक खाते में किया जाएगा। इस पारिश्रमिक के अतिरिक्त परामर्शी को अन्य कोई वेतन अथवा भत्ते देय नहीं होंगे।

4.2 पारिश्रमिक का भुगतान भारतीय मुद्रा रूपये में नियमानुसार कर कटोत्रा उपरांत (यदि कोई हो) किया जाएगा।

5. **चयन प्रक्रिया :–**

5.1 परामर्शी की नियुक्ति हेतु प्राधिकरण द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन किया जाकर, प्राधिकरण स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया जाएगा।

5.2 चयन समिति आवेदनों का परीक्षण करेगी तथा पात्रता पूरी करने वाले उम्मीदवारों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट www.mprrda.org पर अपलोड की जाएगी।

5.3 उक्तानुसार साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होने की सूचना ई–मेल/फोन कॉल के माध्यम से दी जाएगी।

5.4 आवेदकों को साक्षात्कार मे उपस्थित होने हेतु किसी प्रकार के यात्रा व्यय/दैनिक भत्ते देय नहीं होंगे।

5.5 चयनित उम्मीदवार द्वारा चयन आदेश जारी होने के 15 दिवस की अवधि में प्राधिकरण मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज कराना होगी। अन्यथा की स्थिति में चयन समिति चयन आदेश को निरस्त/समाप्त कर सकेगी।

5.6 प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि बिना किसी कारण बताए परामर्शी की नियुक्ति निरस्त/समाप्त कर सकेगा।

5.7 किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

6. **आवेदन करने की प्रक्रिया :–**

6.1 अर्हकारी आवेदक अपना आवेदन संलग्न एनेक्सर–ए में प्राधिकरण के ई–मेल .... पर दिनांक .... तक ई–मेल के माध्यम से भेज सकेगें।

6.2 ई–मेल के अतिरिक्त पत्राचार, फेक्स/टेलेक्स/टेलिग्राम द्वारा दिया गया आवेदन मान्य नहीं होगा।

—–00—–